न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– पीयुष समारिया, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –316/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2022/414

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. नूर मोहम्मद पुत्र निजामूदीन, 2. अलीमूदीन पुत्र निजामूदीन, 3. शोकत अली पुत्र स्व. मोहम्मद सदीक, 4. मईनूदीन पुत्र मन्जूर अली सभी जातियान मुसलमान निवासीगण अजमेरी गेट के बाहर वन विभाग कार्यालय के पिछे नागौर तहसील व जिला नागौर राज0		राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट्स की ओर से वकील श्री पवन श्रीमाली।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय **दिनांक** 15-11-2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 139/2022 सरकार बनाम नूर मो. वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 23.09.2022 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण/अपीलांट्स की ओर से दिनांक 17.5.2022 को अधिनस्थ न्यायालय में नोटिस का खुलासा जवाब पेश किया, तत्पश्चात आगामी चार पेशीयां 1.6.2022, 17.6.2022, 4.7.2022, दिनांक 25.7.2022 की आदेशिकाओ में पी.ओ. साहब बाहर होने का अंकन करते हुऐ आगामी पेशी दिनांक 10.8.2022 को रख कर बिना कोई बहस सुने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये सीधे निर्णय करते हुऐ अपीलांट्स के वैध स्वामित्व टाईटल को नजर अन्दाज करते हुऐ अपीलांट्स को अतिक्रमी मानते हुऐ बेदखली व जुर्माना अधिरोपित करते हुऐ एकाएक आनन फानन में दिनांक 10.8.2022 को निर्णय कर दिया, जिसकी कोई जानकारी अपीलांट्स को नहीं होने दी व अपीलांट्स को यही बताया गया कि अभी पटवारी हल्का के बयान होगे, आपको जिरह का अवसर दिया जावेगा व सारी साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाकर बहस सुनने के बाद निर्णय होगा मगर बिना बहस सुने व बिना विधिक प्रक्रिया निर्णय कर दिया जिसकी पालना में पटवारी हल्का अब मौके पर आकर अपीलांट्स के विरूद्व निर्णय हो जाने व उनको बेदखल करने की बात कही तब अपीलांट्स को अश्चर्य हुआ व तुरन्त दिनांक 6.9.2022 को पता करवा नकलो का आवेदन करवाने पर प्रमाणित प्रतियां दिनांक 8.9.2022 को प्राप्त होने पर उनको पढाने पर सारी जानकारी हुई तत्पश्चात अपील की कानूनी राय मिलने पर अपील की तैयारी की व इस दौरान सरकारी अवकाश आ जाने व दिनांक 19.9.2022 को सायं तक अपील तैयार होने से बिना देरी के यह अपील उक्त निर्णय के विरूद्व पेश की गई है, जिसे देरी माफ कर

कलक्टर, नागौर

अन्दर मियाद शुमार करना न्याय संगत होने का कथन करते हुए देरी माफ कर अपील तारीख जानकारी से अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है। राजपैरोकार ने अपील अपीलान्ट मयाद बाहर होने का कथन किया। अपीलान्ट द्वारा के अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विचार करते हुए न्यायहित में अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध धारा 91 एलआर एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण संख्या 139/2022 सरकार बनाम नूर मोहम्मद वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2022 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

विद्वान अधिनस्थ तहसीलदार नागौर का निर्णय जैर अपील कतई गलत, विधि विरूद्ध व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त जायगा पर अपीलांट्स को अतिक्रमी सरासर गलत तौर से माना गया है जबकि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों व विधि सम्मत पट्टा व स्वामित्व टाईटल के बारे में निर्णय जैर अपील में कोई विवेचन, विश्लेषण तक नहीं किया गया है। अपीलांट्स के जवाब के तथ्यों को मानने या नहीं मानने का कोई कारण दर्ज किये बिना व जवाब को नजर अन्दाज करते हुऐ निर्णय जैर अपील बिना किसी अर्जेन्सी के अत्यंत जल्दबाजी के पारित करने में कानूनी भूल की है।

प्रकरण हाजा में अपीलांट्स को खुलासा साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी नहीं लिये न जिरह करवाई गयी, यदि पटवारी के बयान लिये जाते व जिरह का अवसर दिया जाता व अपीलांट्स को खुलासा साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाता तो ऐसा निर्णय कतई पारित नहीं हो सकता, मगर जानबूझ कर ऐसी विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की है जिससे निर्णय जैर अपील एक विधि सम्मत निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है, विधि विरूद्ध ढंग से पारित किया गया है जबकि निर्णय हेतु दुसरी पेशी पर ही पत्रावली नियत कर दी व उसके चार चार पेशीयों पर अधिकारीजी बाहर होने का अंकन कर पांचवी पेशी पर बिना बहस सुने निर्णय पारित कर दिया, इन परिस्थितियो मे निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रकरण हाजा में पटवारी हल्का ने बिना मौके की जांच किये, बिना नाप चोप किये, बिना राजस्व रेकर्ड व विधिक पट्टा आदि का अवलोकन व मिलान किये अपीलांट्स को खसरा नं. 592/906 मौजा नागौर पर गलत रूप से अतिक्रमण बताते हुऐ मिथ्या रिपोर्ट पेश की है जबकि उक्त जायगा मौके पर चारों तरफ से घनी आबादी के आई हुई है जिसके इर्द गिर्द बड़े सरकारी विभाग व आवासीय मकान बने हुऐ है तो ऐसे में अपीलांट्स का निवास अतिक्रमण का भाग कैसे हो सकता है इस संबंध में तहसीलदार जी ने अपने स्तर पर कोई जांच नहीं की है। भूमि में अपीलांट्स नूर मोहम्मद व स्व. मोहम्मद सदीक के वारीसान का हक, हिस्सा व पट्टासुद टाईटल है, उक्त भूमि पट्टासुद है जिसका पट्टा विलेख दिनांक 2.9.1994 को जिला कलक्टर नागौर द्वारा राज्य सरकार की हैसियत से नूर मोहम्मद व मोहम्मद सदीक पुत्रगण निजामूदीन के पक्ष में राशि जमा कर पट्टा जारी किया हुआ है। उक्त पट्टा तहसीलदार नागौर के उपर के न्यायालय यानि न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 81/1989 में निर्णय दिनांक 28.5.1994 की पालना में जारी किया हुआ है। उक्त पट्टा कलक्टर (मुद्रांक) अजमेर में डयूटी स्टाम्प प्रकरण संख्या 193/2021 के अन्तर्गत पंजियन शुल्क लेकर पंजिबद्ध करवाया हुआ है। इस प्रकार उक्त जायगा अपीलांट्स की कब्जासुद ही नहीं है बल्कि पट्टासुद है। उपरोक्त जायगा का पट्टा न्यायालय हाजा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 81/1989 में पारित निर्णय की अनुपालना में जारी किया हुआ है जिसमें तहसीलदार नागौर द्वारा दिनांक 18.5.1994 को मौका रिपोर्ट बनाई जाकर अपीलांट्स के कब्जा की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। तत्पश्चात न्यायालय हाजा के निर्णय की पालना में भूमि की किमत 24000रू. संपरिवर्तन शुल्क 9000रू. शास्ति 900रू.जमा करवाई जाने पर पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया गया था। उक्त प्रकरण संख्या 81/89 की पालना में भूमि की किमत संपरिवर्तन शुल्क जमा करवाई जाकर पट्टा सन 1994 में जारी किया गया था जो कि पंजिबद्ध दस्तावेज है जो लिगल टाईटल की श्रेणी में आता है। उक्त

कलक्टर, नागौर

पट्टा जारी करने के पश्चात नगर पालिका मण्डल नागौर द्वारा भूमि का विकास शुल्क 6000रू. दिनांक 29.7.1994 को जमा किये गये जो कि जिला कलक्टर नागौर के आदेश दिनांक 23.7.1994 की पालना में जमा किये गये थे। इस प्रकार अपीलांट्स का उपरोक्त भूमि पर कब्जा/अतिचार न होकर लिगल टाईटल की हैसियत से काबिज है, अपीलांट्स की पट्टासुद जायगा है जिसका पट्टा नूर मोहम्मद व मोहम्मद सदीक के नाम से शामलाती रूप से होने से मोहम्मद सदीक के इन्तकाल के पश्चात उक्त जायगा के संबंध में दिनांक 29.12.2021 को नूर मोहम्मद व मोहम्मद सदीक के वारीसान के मध्य पारिवारिक बंटवाड़ा लिखा गया, जो कि उप पंजियक कार्यालय नागौर में दिनांक 4.1.2022 को पंजिबद्व है जिसके पश्चात मोहम्मद सदीक के पुत्र सदाकत अली द्वारा शोकतअली के पक्ष में हक त्याग पत्र निष्पादित किया गया जो कि दिनांक 4.1.2022 को उप पंजीयक कार्यालय नागौर में पंजीबद्ध है। इस प्रकार उक्त जायगा पर गेर सायलान नूर मोहम्मद व स्व. मोहम्मद सदीक के वारीसान का लिगल टाईटल होल्डर के रूप में आवासीय निर्माण पर वर्ष 1989 से पूर्व से ही निवास कर रहे है जिस पर बरकत अली, मंजूर अली, अलीमूदीन का कोई कब्जा अतिचार नहीं है। उक्त भूमि जिला कलक्टर नागौर द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि है जो कि दिनांक 28.5. 1994 के आदेश की पालना में भूमि विकय व रूपान्तरण शुल्क जमा कर पट्टा जारी करने के संबंध में है। उक्त निर्णय आज दिन तक प्रभावशील/विद्यमान है जिसमें श्रीमान तहसीलदार जी नागौर स्वयं द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की हुई है। उक्त निर्णय की अपील/आपति आज दिन तक किसी भी न्यायालय में नहीं की गयी है न निर्णय की कोई अपील तहसीलदारजी नागौर द्वारा भी नहीं की जाने से उक्त निर्णय से श्रीमान तहसीलदार नागौर व नगर परिषद नागौर बाध्य है। उक्त निर्णय की पालना में जारी पट्टा व पश्चातवर्ती दस्तावेजात भी पंजीबद्ध दस्तावेज है जिसके संबंध में वर्ष 1994 से लेकर आज दिन तक किसी भी प्रकार की कोई उजर आपति नहीं की गयी है। इस प्रकार जायगा श्रीमान जिला कलक्टर नागौर द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित की जा चुकी है जिसके संबंध में अपीलांट्स द्वारा राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष आपति संख्या 8/89 पेश की जो कि दिनांक 27.5.1989 को स्वीकार की गयी, उक्त निर्णय भी आज दिन तक विद्यमान है जिसकी पालना में जिला कलक्टर नागौर द्वारा निर्णय दिनांक 28.5.1994 पारित किया हुआ है। इस प्रकार श्रीमान तहसीलदार नागौर के अपर व अपीलीय न्यायालय, न्यायालय हाजा व राजस्व अपील अधिकारी द्वारा उक्त जायगा के संबंध में प्रकरणो की सुनवाई कर निर्णय पारित किये हुऐ है जिनके संबंध में जवाब में खुलासा तथ्य अंकन करने के बावजूद उनको नजर अन्दाज करते हुऐ पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट को आधार बनाकर अतिक्रमण व बेदखली का विधि विरूद्व निर्णय जेर अपील पारित किया है क्योकि उपरोक्त जायगा अपीलांट्स की आवासीय व रहवासी पट्टासुद जायगा है जिस पर अपीलांट्स परिवार सहित निवास कर रहे है तथा उपरोक्त भूमि अपीलांट्स की पट्टासुद लिगल टाईटल की भूमि है रहवासी मकान निर्मित है जहां पर अपीलांट्स के विधुत कनैक्शन, पानी का कनेक्शन लिया हुआ है जिस हेतु नगर परिषद नागौर द्वारा आबादी भूमि होने के कारण एन.ओ.सी. भी जारी की गयी है। उक्त भूमि नगर परिषद के आबादी क्षैत्र में है आस पास का क्षेत्र रहवासी व आवासीय है जहां सैंकड़ो मकानात बने हुऐ है व आवासीय भुखण्ड व व्यवसायिक भवन अवस्थित है तथा समय समय पर सरकारी सर्वे होकर गेरसायल के परिवार का यहां पुराना निवास मानकर राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि पहचान के सरकारी दस्तावेज जारी किये हुऐ है ऐसे में नया कब्जा/ अतिचार होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है एवं कथित जायगा सरकारी या प्रतिबंधित भूमि के रूप में नहीं है बल्कि पट्टासुद जायगा है इन सभी तथ्यो, परिस्थितियो मौके की स्थिति व विधिक पट्टा को देखते हुऐ प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट्स के पक्ष में था व कार्यवाही ड्रोप कियेजाने योग्य थी व साफ जाहिर था व है कि अपीलांट्स का कोई अतिक्रमण नहीं होकर उक्त जायगा के स्थाई निवासी है वैध स्वामित्व दस्तावेज है जिन सभी महत्वपूर्ण तथ्यो को नजर अन्दाज किया गया है अपीलांट्स को अतिकमी घोषित कर बेदखली का निर्णय जैर अपील पारित करने में भारी कानूनी व वाकियाती त्रुटि की है जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

कलक्टर, नागौर

अपीलांट्स को मौके से कदीमी कब्जासुद वैध स्वामित्व की जायगा मकान को तोड़ कर बेदखल कर दिया तो अपीलांट्स का परिवार बेघर हो जायेगा, उनके परिवार के रहने की अन्य कोई जगह नहीं है मौके पर भूमि रहवासी प्रयोजनार्थ कदीम से काम आ रही है आवासीय पट्टा जारी किया हुआ है आस पास मकानात, सरकारी भवन बने हुऐ है मौके की स्थिति की कोई जांच व खुलासा रिपोर्ट नहीं मंगवाई गयी है जिससे आदेश/निर्णय जैर अपील हस्तक्षेप योग्य होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय जैर अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में नागौर के खसरा नम्बर 592/906 किस्म गै.मु. अंगोर रकबा 16800 वर्गफीट भूमि पर अपीलान्ट्स द्वारा पक्का मकान व सर्विस सेंटर बनाकर नाजायज कब्जा करने की पटवारी नागौर द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा सत्यापित रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्टस् को नोटिस जारी किये गये, जिसके संबंध में अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जबाब मय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। उल्लेखनीय है कि न्यायालय हाजा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 81/89 राज. सरकार बनाम नूर मोहम्मद वगैरह पारित आदेश दिनांक 28.5.94 की पालना में दिनांक 02.09.1994 को नूर मोहम्मद, मोहम्मद सदीक पिसरान निजामूदीन मौजा नागौर के खसरा नम्बर 592 में से 600 वर्गगज भूमि का जिला कलक्टर महोदय नागौर द्वारा आवासीय रूपान्तरण किया गया है। अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर कार्यालय नागौर के पत्रांक–एफ–12(61)राज/94/3394 दिनांक 23.7.94 जो अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नागौर को प्रेषित है, जिसके अनुसार नूर मोहम्मद, मोहम्मद सदीक पुत्रगण निजामुदीन गौरी निवासीगण नागौर के नाम कस्बा, नागौर की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 592 में से 600 वर्गगज भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरकरण जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा किये जाने का उल्लेख है। यह सही है कि खसरा नम्बर 592 की किस्म अंगोर है, जो जिला कलक्टर महोदय नागौर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 81/89 राज. सरकार बनाम नूर मोहम्मद वगैरह पारित आदेश दिनांक 28.5.94 से भी स्पष्ट है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र कमांक–प. 10(3)राज–6/2001–पार्ट/5 दिनांक 26.06.2012 में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की एकलपीठ द्वारा याचिका संख्या 11153/11 सुओमोटो बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 29.05.12 की अनुपालना में 1955 के पश्चात जितने भी आवंटन गै.मु. नाला, नदी, तालाब, बांध या पायतन दर्ज थे तथा भूमि वर्गीकण परिवर्तन कर कृषि प्रयोजनार्थ अथवा अकृषि प्रयोजनार्थ कर दिये गये है, उन समस्त प्रकरणों में सक्षम न्यायालय में सम्पूर्ण तथ्यों सहित रेफरेन्स दर्ज करवाकर आवंटन निरस्त कराने की कार्यवाही करने के निर्देश है। हस्तगत प्रकरण में भी अंगोर भूमि का आवासीय रूपान्तरण किया गया है। इसलिए हस्तगत प्रकरण पारित निर्णय को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः विधिवत सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में नागौर के खसरा नम्बर 592/906 किस्म गै.मु. अंगोर रकबा 16800 वर्गफीट भूमि पर अपीलान्ट्स द्वारा पक्का मकान व सर्विस सेंटर बनाकर नाजायज कब्जा करने की पटवारी नागौर द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा सत्यापित रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्टस् को नोटिस जारी किये गये, जिसके संबंध में अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जबाब मय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया जाकर अपीलान्टस् को अतिकमी घोषित कर उक्त विवादग्रस्त भूमि से भौतिक रूप से बेदखली का आदेश दिया गया है, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 81/89 राज. सरकार बनाम नूर मोहम्मद वगैरह पारित आदेश दिनांक 28.5.94 की पालना में दिनांक 02.09.1994 को नूर मोहम्मद, मोहम्मद सदीक पिसरान निजामूदीन मौजा नागौर के खसरा

कलक्टर, नागौर

नम्बर 592 में से 600 वर्गगज भूमि का जिला कलक्टर नागौर द्वारा आवासीय रूपान्तरण किया गया है। अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर कार्यालय नागौर के पत्रांक–एफ–12(61)राज/94/3394 दिनांक 23.7.94 जो अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नागौर को प्रेषित पत्र की प्रस्तुत की है। उक्त पत्र में भी नूर मोहम्मद, मोहम्मद सदीक पुत्रगण निजामुदीन गौरी निवासीगण नागौर के नाम कस्बा, नागौर की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 592 में से 600 वर्गगज भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तकरण जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा किये जाने का उल्लेख है। खसरा नम्बर 592 की भूमि की किस्म अंगोर है, जो जिला कलक्टर नागौर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 81/89 राज. सरकार बनाम नूर मोहम्मद वगैरह पारित आदेश दिनांक 28.5.94 से भी स्पष्ट है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र कमांक–प.10(3)राज–6/2001–पार्ट/5 दिनांक 26.06.2012 में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की एकलपीठ द्वारा याचिका संख्या 11153/11 सुओमोटो बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 29.05.12 की अनुपालना में 1955 के पश्चात जितने भी आवंटन गै.मु. नाला, नदी, तालाब, बांध या पायतन दर्ज थे तथा भूमि वर्गीकण परिवर्तन कर कृषि प्रयोजनार्थ अथवा अकृषि प्रयोजनार्थ कर दिये गये है, उन समस्त प्रकरणों में सक्षम न्यायालय में सम्पूर्ण तथ्यों सहित रेफरेन्स दर्ज करवाकर आवंटन निरस्त कराने की कार्यवाही करने के निर्देश है। हस्तगत प्रकरण में भी अंगोर भूमि का आवासीय रूपान्तरण किया जाना अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से प्रकट होता है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर के समक्ष सम्पूर्ण दस्तावेजात प्रस्तुत कर जबाब भी प्रस्तुत किया गया है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा अपने निर्णय में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं दस्तावेजात स्वीकार करने अथवा नहीं करने के संबंध में कोई विवेचन नहीं किया है, जो उचित नहीं है। इसके अलावा अंगोर भूमि के संबंध राज्य सरकार के क्या निर्देश/परिपत्र है इस तथ्य को भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान में रखे बिना निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो कतई उचित नहीं है। अतः अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय उचित नहीं होने अपास्त किया जाकर रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत जबाब, दस्तावेजात एवं अंगोर भूमि के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्रों/निर्देशों को ध्यान रखते हुए अपीलान्ट को नियमानुसार साक्ष्य सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर प्रकरण में नये सिरे से पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर